

अवैध चाकू के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक अभियुक्त नाम पता रुस्तम पुत्र माजिद निवासी सौरहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 35/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता सुमन्त पुत्र भगेलू चमर मंगता निवासी कुशहरा थाना बखिरा संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 36 / 2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- आरक्षी मंजीत कुमार वर्मा।

01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना को0 खलीलाबा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता शिवकुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी जंगलउन गोड़वा थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री शशिकान्त तिवारी, का0 मनीष कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना को0खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 4 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1496 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1496 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत कौवाठोर से इवेन्ट संख्या 09147 से कालर ने मार्ग दुर्घटना होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर

दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज हेतु अस्पताल पहुँचाया गया तथा थाना में हदावल को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 सन्तराम चौधरी, मु0आ0 राजेन्द्र यादव, आ0चा0 रामपाल ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 34 वाहनो से 23000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 34 वाहनो से 23000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।